संलग्नक -14

संख्या-3900 /सत्तर-6-2005-3(2)93

(115)

प्रेषक,

जगन्नाथ पाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तरप्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, उच्चशिक्षा,
उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद।

उच्चशिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक: 21 सितम्बर, 2005

विषय:- प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया जाना।

महोदय,

प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने हेतु मानकों के निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-296/15-19-95-3(2)93, दिनांक: 4-3-1995 द्वारा सचिव, उच्चशिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 21-6-2005 को आयोजित बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में ट्रान्सलेम कालेज आफ एजूकेशन मवाना, मेरठ द्वारा वांछित अभिलेख/विवरण उपलब्ध करा दिये गये हैं।

अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल उक्त महाविद्यालय को उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 से आच्छादित पाठ्यक्रमों हेतु तात्कालिक प्रभाव से अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(जगन्नाथ पाल)
संयुक्त सचिव

संख्या- 3900 (1)/सत्तर-6-2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

2- सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्धक।

आज्ञा से,

(जगन्नाथ पाल)
संयुक्त सचिव

For Translam College of Education

President